


(81)

ल सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



R 5344-II/16

1- लालमणि पिता महावीर मृतक द्वारा वास्साना -

RS 30/-

1(अ)- रामसजीवन पिता लालमणि पटेल उम्र 61 वर्ष पेशा खेती

1(ब)- विनय कुमार पिता मूलसजीवन पटेल उम्र 27 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी

1(स)- मन्दू पिता मूलसजीवन पटेल उम्र 25 वर्ष

2- कैलाश पिता महावीर पटेल मृतक द्वारा वारिसान -

2(अ)- राजकुमार पिता कैलाश पटेल उम्र 35 वर्ष

2(ब)- झब्बू पिता कैलाश पटेल उम्र 45 वर्ष

2(स)- श्रीमती कलावती विधवा पत्नी कैलाश उम्र 65 वर्ष

3- केमला पिता महावीर पटेल

4- जमुना पिता महावीर पटेल

5- वंशबहोर पिता गिरधारी पटेल

6- रामसजीवन पिता लालमणि पटेल

7- विन्ध्येश्वरी पिता केमला पटेल

8- रामसुशील पिता मनमोहन पटेल

9- सुरेन्द्र पिता मनमोहन पटेल

10- सत्यभान पिता मनमोहन पटेल

11- त्रिपाठी पिता मनमोहन पटेल

12- मुस.तिजिया विधवा पत्नी मनमोहन पटेल मृतक

अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद
पटेल, एड. वंश वैद्य
26-7-16

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मन्त्रालय मं० प्र० ग्वास्तियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

समस्त निवासी ग्राम शिवपुरवा तह. चुरहट जिला सीधी म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

रामखेलावन पिता हुरदुल पटेल मृतक द्वारा वारिशान -

1- पारसनाथ

2- विश्राम

3- सुरेश

4- नंदलाल

5- बृजवासी

सभी के पिता रामखेलावन पटेल निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

.....अनावेदकगण

(Signature)

.....2

(Handwritten mark)

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा
राजस्व प्रकरण क.
16/अपील/2005-2006 आदेश दिनांक
28.06.2016

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्नांकित हैं -

- 1- यह कि रेस्पा.गण के स्व. पिता रामखेलावन ने तहसील कोर्ट चुरहट जिला सीधी म.प्र. के न्यायालय में भूमि खसरा क. 69 रकबा 1.113 हे. नया बंदोबस्ती खसरा नं. 732/0.16 ए., 733/0.16 ए., 734/0.09 ए., 735/0.16 ए., 736/0.36 ए., 737/0.30 ए. कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.113 आरे के हिरसा 1/2 स्थित मौजा चुरहट जिला सीधी के संबंध में मौरूसी कृषक के आधार पर नामांतरण का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। तहसील कोर्ट ने मौरूसी काश्तकारी साबित नहीं होने के बावजूद भी रेस्पा. क. 1 ता 5 के पिता रामखेलावन के नाम नामांतरण करने का आदेश प्र.क. 3/अ-46/99-2000 आदेश दिनांक 02.05.2000 को पारित किया था। आवेदकगण के पूर्वज स्व. लालमणि व अन्य तहसील कोर्ट चुरहट के आदेश दिनांक 02.05.2000 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी में अपील क. 24/अपील/99-2000 प्रस्तुत किया था अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी ने तहसील कोर्ट का आदेश दिनांक 02.05.2000 कायम रखा तथा आवेदकगण के पूर्वज लालमणी की अपील दिनांक 02.09.2000 को खारिज कर दिया था। आवेदकगण के पूर्वज स्व. लालमणि व अन्य ने श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी के प्र.क. 24/अपील/99-2000 आदेश दिनांक 02.09.2000 के खिलाफ श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया था जिसका प्र.क. 760/अपील/99-2000 पर पंजीबद्ध थी। श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा ने आवेदक/रामखेलावन को मौरूसी काश्तकार गस्ती खसराओं में प्रविष्टी न होने तथा धारा 185 के प्रावधानों के अंतर्गत साबित न होने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2002 के द्वारा खारिज कर दिया था। मृतक अनावेदकगण रामखेलावन ने श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 18.06.2002 के खिलाफ राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी की थी। राजस्व मंडल के माननीय सदस्य के.के.वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अपर आयुक्त रीवा

A-1


A-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R5344-II/16

जिला-सीधी

लालमणि वगैरः/ रामखेलावन

(1)	(2)	(3)
19.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	